कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी

राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/स्वास्थ्य/2020/ 241 राजनांदगाँव दिनांक : 20/4/2020

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (COVID -19) के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID -19) एक संक्रामक बीमारी हैं, जो विश्व के विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित हैं कि, कोरोना वायरस (COVID -19) के सपर्क से पीडित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत हैं। प्रायः यह देखने में आता हैं कि कतिपय लोगों द्वारा गुटखा, तम्बाकू, एवं गुडाखू का सेवन कर जगह–जगह थूक दिया जाता हैं, जिससे संक्रमण बढने का खतरा है। ऐसी स्थिति में Epidemic Act. 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला राजनांदगांव में गुटखा, तम्बाकू, एवं गुडाखू के क्रय–विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

यह आदेश संपूर्ण जिला राजनांदगांव में तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 03.05.2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

इस आदेश का उल्लघंन किये जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश आज दिनांक 20.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन **पद** मुद्रा से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव (छ.ग.)

(जय प्रकाश मौर्य)
कलेक्टर
एवं जिला दंडाधिकारी
जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)